# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टरनावां (नागौर)

पीठासीन अधिकारी : ब्रह्मलाल जाट, आर.ए.एस.

वादीगणः–

1. चाँदसिंह पुत्र गोविन्द सिंह
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र गोविन्द सिंह
3. गोदावरी देवी पत्नि गोविन्द सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम लिचाणा तह. नावां।

**बनाम**

प्रतिवादीगणः–

1. परमेश्वर सिंह पुत्र सवाई सिंह
2. बलवीर सिंह पुत्र सवाई सिंह
3. मनोहर सिंह पुत्र सवाई सिंह
4. सूरज कंवर पत्नि सवाई सिंह
5. टीना कंवर पुत्री शिवदयाल सिंह
6. रीना कंवर पुत्री शिवदयाल सिंह
7. दुर्जन सिंह पुत्र शिवदयाल सिंह
8. दोपता कंवर पत्नि शिवदयाल सिंह
9. सरोज कंवर पुत्री छोटू सिंह
10. सूमन कंवर छोटू सिंह
11. प्रेमकंवर पत्नि रघुवीर सिंह
12. स्नेह सिंह पुत्र रघुवीर सिंह
13. महावीर सिंह पुत्र रघुवीर सिंह
14. अंजू कंवर पुत्री रघुवीर सिंह सभी जाति रावणा राजपूत निवासी लिचाणा तह. नावां।
15. नाथूराम पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी लिचाणा तह. नावां।
16. मनोहर कंवर पत्नि बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी लिचाणा तह. नावां।
17. बरजीदेवी पत्नि रामनारायण जाति यादव निवासी महता की ढाणी तह. फुलेरा जयपुर।
18. खेताराम पुत्र मांगूराम
19. जीवणराम पुत्र मांगूराम
20. पेमाराम पुत्र मांगूराम
21. हणराम राम पुत्र भूराराम
22. गुलाबदेवी पत्नि भूराराम
23. भंवरीदेवी पुत्री भूराराम
24. सन्तोषदेवी पुत्री भूराराम
25. नारायणीदेवी पुत्री भूराराम
26. बिलादेवी पुत्री भूराराम
27. साउ देवी पुत्री भूराराम
28. मूलाराम पुत्र मानाराम
29. बोदूराम पुत्र मानाराम
30. देवाराम पुत्र बालूराम
31. परमाराम पुत्र प्रभुराम
32. नेमराम पुत्र प्रभुराम
33. पन्नाराम पुत्र प्रभुराम



उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

34. छोटूराम पुत्र किशनाराम
35. शिवजी राम पुत्र किशनाराम सभी जाति जाट निवासी लिचाणा तह. नावां।
36. नाथूराम पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर निवासी लिचाणा तह. नावां।
37. बजरंगसिंह पुत्र संग्रामसिंह
    37/1 सुप्यार कंवर पत्नि बजरंग सिंह
    37/2 गजेन्द्र सिंह पुत्र बजरंग सिंह
    37/3 ओम सिंह पुत्र बजरंग सिंह
38. पुष्पा कंवर पत्नि रिछपाल सिंह
39. दशरथ सिंह पुत्र सुगन सिंह
40. रिछपाल सिंह पुत्र सुगन सिंह सभी जाति राजपूत निवासी लिचाणा तह. नावां।
41. मालचन्द पुत्र छीतरमल जाति जागीड़ निवासी लिचाणा तह. नावां।
42. तीजूदेवी पत्नि नाथू
43. विमला देवी पत्नि माधू
44. पूरणमल पुत्र माधू
45. राजेश कुमार पुत्र माधू
46. प्रकाशचन्द पुत्र माधू
47. बाबुलाल पुत्र माधू
48. परमेश्वर पुत्र माधू
49. नरेश कुमार पुत्र माधू
50. मणीदेवी पुत्री माधू
51. मनोज कुमार पुत्र जमनाराम
52. मैनादेवी पत्नि मोहनलाल
53. संजय कुमार पुत्र मोहनलाल
54. शिकन्दर पुत्र मोहनलाल
55. कमल कुमार पुत्र मोहनलाल
56. शांतिलाल पुत्र कुम्भाराम
57. सोहन लाल पुत्र रामूराम सभी जाति नाई निवासी लिचाणा तह. नावां।
58. श्रवण सिंह पुत्र दीप सिंह
59. किशोर सिंह पुत्र दीप सिंह
60. करणी सिंह पुत्र दीप सिंह जाति राजपूत निवासी लिचाणा तह. नावां
61. उदाराम पुत्र लिखमाराम
62. बालूरमा पुत्र भैरू
63. कानाराम पुत्र भैरू जाति जाट निवासी लिचाणा तह. नावां
64. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र छीतरमल जाति खाती निवासी लिचाणा तह. नावां
65. दुर्गादेवी पत्नि गुलाबचन्द जाति ब्राह्मण निवासी लिचाणा तह. नावां।
66. मूलचन्द पुत्र रामदेव जाति कुमावत निवासी लिचाणा तह. नावां।
67. हनुमानराम पुत्र देवाराम
68. मीरा देवी पत्नि शिवजीराम जाति जाट निवासी लिचाणा तह. नावां
69. भंवर सिंह पुत्र भौपाल सिंह
70. रोशन सिंह पुत्र भौपाल सिंह
71. किरण कंवर पत्नि ज्ञान सिंह
72. अजय सिंह पुत्र ज्ञान सिंह संरक्षक माता किरण कंवर
73. अनमोल पुत्री ज्ञान सिंह संरक्षक माता किरण कंवर



उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

74. पूरण सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी लिचाणा तह. नावां।
75. निलम पुत्री बिहारी लाल
76. शुभम पुत्री बिहारीलाल जाति नाई निवासी लिचाणा तह. नावां।
77. मूलचन्द पुत्र पुसाराम जाति जांगीड़ निवासी लिचाणा तह. नावां।
78. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड कुचामन सिटी।
79. शाखा प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा लिचाणा तह. नावां।
80. शाखा प्रबंधक ऑरियन्टल बैंक ऑफ कोमर्स शाखा कुचामन सिटी।
81. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुचामन सिटी।
82. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा कुचामन सिटी।
83. उप-पंजीयक नावां।
84. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नावां।

**दावा भू-विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा53, 188 आर.टी.एक्ट**

उपस्थित :- श्री मोहन सिंह अधिवक्ता वादीगण
श्री श्रवणराम जाट अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 37/1 से 37/3, 38 ता 40
श्री राजेश कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 70, 74
श्री पुखराज गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 69, 71, 72, 73

मुकदमा नम्बरः- 256/2022 निर्णय दिनांकः-04.11.2022

**निर्णय**

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम लिचाणा के खसरा नम्बर 1294/492, 494, 502, 503 कुल रकबा 3.702 हैक्टयर व खसरा नम्बर 495, 500, 501, 504, 1290/505, 506, 507, 513, 514, 526, 527, 528, 530, 532, 536, 540, 541, 542, 544, 545, 546, 1146/536 कुल रकबा 58.7648 हैक्टयर भूमि स्थित हैं। जिसमें खसरा नम्बर 1294/492, 494, 546, 1146/536 कुल रकबा 3.702 हैक्टयर में दर हिस्सा 1.66 हैक्टयर भूमि में 1/2 हिस्सा अर्थात 0.83 हैक्टयर भूमि वादी चांदसिंह क्रय शुदा भूमि हैं। खसरा नम्बर 495, 500, 501, 504, 1290/505, 506, 507, 513, 514, 526, 527, 528, 530, 532, 536, 540, 541, 542, 544, 545, 546, 1146/536 कुल रकबा 58.7648 हैक्टयर भूमि में 4.90 हैक्टयर भूमि वादीगण की पैतृक हक हिस्से एवं खातेदारी शुदा भूमि हैं जिसपर वादीगणर निरंतर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादीगण ने अपनी खातेदारी शुदा भूमि मे काफी पैसे लगाकर उपयोगी व उपजाउ बनाया हैं जिसके चारों तरफ कदीमी सीव माठ कायम चली आ रही हैं जिससे वादीगण को अपने हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग करने में भारी कठिनाई हो रही हैं। संयुक्त खातेदारी होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीगण को परेशान कर रहे हैं। वादीगण अपनी खातेदारी हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा कर अलग होल्डिंग कायम करवाना चाहते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 30 से 35, 37/1 से 37/3, 38 ता 40, 67, 68 ने वादीगण के वाद को सही होने से स्वीकार करते हुए इकबालिया जवाब मय काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी संख्या 30 देवाराम का उक्त खसरान की विवादित भूमि 58.7646 हैक्टयर में दर हिस्सा 13.15 हैक्टर में से 1/3 हिस्से की 4.3833 हैक्टयर भूमि का हकदार हैं जिसकी खातेदारी घोषणा की जाकर अलग होल्डिंग कायम की जावे इसी प्रकार उक्त भूमि में से 4.90 हैक्टयर भूमि में 1/2 हिस्सा 2.45 हैक्टर भूमि प्रतिवादी हनुमानराम की व 1/4 हिस्स यानि 1.225 हैक्टयर प्रतिवादी मीरादेवी पत्नि शिवजीराम काबिज खातेदार काश्तकार हैं का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा किया जावें। प्रतिवादी संख्या 31 से 35 ने काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि कुल 58.7648 हैक्टयर भूमि में दर हिस्सा 13.15 हैक्टयर भूमि में से 1/3 हिस्से की भूमि में 1/2 हिस्से की 2.1916 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 34 छोटूराम तथा दर हिस्से 13.15 हैक्टयर भूमि में 1/3 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा 1.0958 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 31,32,33 परमाराम, नोमराम, पन्नाराम पि. प्रभूराम की एवं 1/4 हिस्सा 1.0958 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 35 शिवजीराम की खातेदार शुदा भूमि स्थित हैं का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा घोषित किया जावे। इसी प्रकार कुल 58.7648 हैक्टयर भूमि में 4175/146912 हिस्से की 1.67 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 37 के कायम मुकाम की तथा प्रतिवादी 38 पुष्पाकंवर की 1.60 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 39 दशरथसिंह के हिस्से में 1.635 हैक्टयर भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 40 की 1.5725 हैक्टयर भूमि खातेदारी हक हिस्से में हैं। शेष प्रतिवादीगण के सम्मन विधिवत रूप से तामील होने के बावजूद बार बार आवाज लगाए जाने पर अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 70, 74 ने उक्त वाद पत्र में वर्णित आराजीयात भूमि के संबंध में उक्त अनुवान के वाद पत्र के पश्चात पश्चातवर्ती वाद पत्र संख्या 155/2021 बअनुवान पुर्णसिंह बनाम अजयसिंह वगैरह पेश किया जिसके बाद दोनो वाद पत्र के उभयपक्षकारान को सुना जाकर दोनो वाद पत्र की सुनवाई एक साथ किये जाने योग्य होने से उक्त पश्चातवर्ती वाद पत्र संख्या 155/2021 को पूर्ववर्ती वाद पत्र संख्या 88/2018 के साथ समेकित किया गया। प्रतिवादी संख्या 70, 74 ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि कुल रकबा 58.7648 हैक्टर भूमि में से खसरा नम्बर 495 में प्रतिवादी संख्या 74 पुर्णसिहं का 25/9182 हिस्सा यानि 0.16 हैक्टयर भूमि पर काबिज चला आ रहा हैं एवं खसरा नम्बर 506 व 542 में प्रतिवादी संख्या 70 रोशनसिंह का 6167/587648 हिस्सा यानि 0.6167 हैक्टयर व प्रतिवादी संख्या 72 अजयसिंह का 2055/587648 हिस्सा यानि 0.2055 हैक्टयर व प्रतिवादी संख्या 73 अनमोलसिंह का 2055/587648 हिस्सा यानि 0.2055 हैक्टयर व प्रतिवादी संख्या 71 किरण कंवर का 527/73456 हिस्सा यानि 0.4216 हैक्टयर, प्रतिवादी संख्या 69 भंवरसिंह का 6167/587648 हिस्सा यानि 0.6167 हैक्टयर भूमि की खातेदार शुदा भूमि स्थित हैं का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा घोषित किया जावे। वादीगण का वाद प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है एवं प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम वादीगण ने स्वीकार किया हैं जिससे प्रकरण में तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं हैं,



उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

साक्ष्य वादी में वादी स्वयं का शपथ पत्र पेश किया ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य बंद की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद पत्र में प्रस्तुत वर्तमान जमाबंदी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रत्येक का हक हिस्सा जमाबंदी में खुला हुआ हैं। उक्त भूमि में पक्षकारान में खातेदारी में दर्ज हक हिस्से का कोई विवाद नहीं हैं जिससे वादीगण का वाद व प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम प्राथमिक रूप से स्वीकार किए गये। उभयपक्षकारान तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत होने पर तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार नावां ने बंटवारा प्रस्ताव पेश किया। अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पेश किया। तत्पश्चात अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 151, 152 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त पत्रावली में प्राथमिक डिक्री बाबत वादीगण द्वारा आपत्ति दिनांक 15.06.2022 को प्रस्तुत की गयी जिसको विड्रोल करता हूं व प्राथमिक डिक्री पालना रिकॉर्ड में दर्ज वादीगण के हिस्से की भूमि की खातेदारी 4.10 हैक्टर, 0.2533 हैक्टर, 0.80 हैक्टर भूमि अलग दर्ज कर शेष भूमि में से खातेदारी में रहती हैं उसको शामलाती दर्ज किया जाकर निर्णय पारित किया जाने का निवेदन किया। उपरोक्त पत्रावली में पी.डी. पालना रिकॉर्ड के अनुसार व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि को कम नहीं किया जाकर पी.डी. रिकॉर्ड के अलावा जो भूमि शेष रही हैं उसकी शामलाती दर्ज रखा जावे। वादीगण द्वारा प्रस्तुत पी.डी. रिकॉर्ड आपत्ति बाबत प्रार्थना पत्र को पी.डी. किया जाकर वादीगण खातेदारी भूमि में पी.डी. रिकॉर्ड में जो हिस्सा दर्शाया गया हैं उसको अलग किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में शेष भूमि को शामलाती दर्ज रखा जावे व वादीगण खातेदारी भूमि किसी प्रकार से कम दर्ज नहीं किया जावे इस प्रकार उक्त वाद का निर्णय किया जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 69, 71, 72, 73 की ओर से अधिवक्ता श्री पुखराज गुर्जर ने इकबाली जवाब मय काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लिचाणा के खसरा नम्बर 1146/536, 1290/505, 495, 500, 501, 504, 506, 507, 213, 514, 526, 527, 528, 530, 532, 536, 539, 540, 541, 542, 544, 546 कुल रकबा 58.7648 हैक्टर भूमि में से खसरा नम्बर 506 भंवरसिंह पुत्र भोपालसिंह का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 70 रोशनसिंह पुत्र भोपालसिंह का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 71 किरणकंवर पत्नि ज्ञानसिंह का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 72 अजयसिंह पुत्र ज्ञानसिंह का 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 73 अनमोल पुत्री ज्ञानसिंह का 1/9वां हिस्सा पर काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 69, 70 का अलग बंट कर दिया जावें एवं प्रतिवादी संख्या 71, 72, 73 का अलग बंट कर दिया जावें एवं अन्य खसरान में से हमारा नाम हटा दिया जावें एवं खसरा नम्बर 506, 542 में हमारे हक व हिस्से की खातेदारी दर्ज कर दी जावें।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 37/1 ता 37/3, 38 ता 40, 70, 74 अपने हक हिस्से की भूमि का भू–विभाजन करवाना चाहते हैं। तहसीलदार



उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

नावां द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव में वादीगण की खातेदारी में दर्ज भूमि पूर्ण हिस्सा अंकित नहीं किया गया हैं। वादीगण ने उनके हक हिस्से में दर्ज भूमि का बंटवारा प्रस्ताव में अंकन भूमि का भू–विभाजन एवं शेष भूमि को शामलाती रखते हुए भू–विभाजन करने का निवेदन किया जिसपर अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने सहमति दी। इसलिए ग्राम लिचाणा के खसरा नम्बर 1294/492, 494, 502, 503 कुल रकबा 3.702 हैक्टयर व खसरा नम्बर 495, 500, 501, 504, 1290/505, 506, 507, 513, 514, 526, 527, 528, 530, 532, 536, 540, 541, 542, 544, 545, 546, 1146/536 कुल रकबा 58.7648 हैक्टयर भूमि का बंटवारा प्रस्ताव में अंकन अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 37/1 ता 37/3, 38 ता 40, 69, 70, 71, 72, 73, 74 की भूमि का वादीगण की बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि के अलावा शेष भूमि को शामलाती रखते हुए भू–विभजान किये जाने योग्य हैं।

**आदेश**

अतः वादीगण का वाद व प्रतिवादी संख्या 37/1 ता 37/3, 38 ता 40, 69, 70, 71, 72, 73, 74 का काउंटर क्लेम स्वीकार कर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम लिचाणा के खसरा नम्बर 1294/492, 494, 502, 503 कुल रकबा 3.702 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 495, 500, 501, 504, 1290/505, 506, 507, 513, 514, 526, 527, 528, 530, 532, 536, 540, 541, 542, 544, 545, 546, 1146/536 कुल रकबा 58.7648 हैक्टयर भूमि का मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकन भूमि अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 37/1 ता 37/3, 38 ता 40, 69, 70, 71, 72, 73, 74 को खातेदार काश्तकार घोषित कर भू–विभाजन किया जाता हैं तथा खसरा नम्बर 513 में से 0.08 हैक्टर भूमि जो कटाणी रास्ते से बंटवारा प्रस्ताव में अंकित छोटूराम पुत्र किशनाराम की भूमि से लगते हुए परमाराम, नेमाराम, पनाराम पि. प्रभूराम की भूमि तक का गै.मु. रास्ता घोषित किया जाता हैं। वादीगण की खातेदारी में दर्ज भूमि में से बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि के अलावा शेष भूमि को शामलाती रखा जावे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खातेदारों का रहन संबंधित बैंक में यथावत रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.11.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

डिकी मुकदमां इब्तदाई (ओ. 20 रूल 6–7 दीवानी)

## अदालतः– उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला नागौर, राज.

अज अदालत :– श्री ब्रह्मलाल जाट आर.ए.एस.

**वादीगणः–**

1. चाँदसिंह पुत्र गोविन्द सिंह
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र गोविन्द सिंह
3. गोदावरी देवी पत्नि गोविन्द सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम लिचाणा तह. नावां।

**बनाम**

**प्रतिवादीगणः–**

1. परमेश्वर सिंह पुत्र सवाई सिंह
2. बलवीर सिंह पुत्र सवाई सिंह
3. मनोहर सिंह पुत्र सवाई सिंह
4. सूरज कंवर पत्नि सवाई सिंह
5. टीना कंवर पुत्री शिवदयाल सिंह
6. रीना कंवर पुत्री शिवदयाल सिंह
7. दुर्जन सिंह पुत्र शिवदयाल सिंह
8. दोपता कंवर पत्नि शिवदयाल सिंह
9. सरोज कंवर पुत्री छोटू सिंह
10. सूमन कंवर छोटू सिंह
11. प्रेमकंवर पत्नि रघुवीर सिंह
12. स्नेह सिंह पुत्र रघुवीर सिंह
13. महावीर सिंह पुत्र रघुवीर सिंह
14. अंजू कंवर पुत्री रघुवीर सिंह सभी जाति रावणा राजपूत निवासी लिचाणा तह. नावां।
15. नाथूराम पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी लिचाणा तह. नावां।
16. मनोहर कंवर पत्नि बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी लिचाणा तह. नावां।
17. बरजीदेवी पत्नि रामनारायण जाति यादव निवासी महता की ढाणी तह. फुलेरा जयपुर।
18. खेताराम पुत्र मांगूराम
19. जीवणराम पुत्र मांगूराम
20. पेमाराम पुत्र मांगूराम
21. हणराम राम पुत्र भूराराम
22. गुलाबदेवी पत्नि भूराराम
23. भंवरीदेवी पुत्री भूराराम
24. सन्तोषदेवी पुत्री भूराराम
25. नारायणीदेवी पुत्री भूराराम
26. विलादेवी पुत्री भूराराम
27. साउ देवी पुत्री भूराराम
28. मूलाराम पुत्र मानाराम
29. बोदूराम पुत्र मानाराम
30. देवाराम पुत्र बालूराम
31. परमाराम पुत्र प्रभुराम
32. नेमराम पुत्र प्रभुराम
33. पन्नाराम पुत्र प्रभुराम
34. छोटूराम पुत्र किशनाराम
35. शिवजी राम पुत्र किशनाराम सभी जाति जाट निवासी लिचाणा तह. नावां।
36. नाथूराम पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर निवासी लिचाणा तह. नावां।
37. बजरंगसिंह पुत्र संग्रामसिंह
   37/1 सुप्यार कंवर पत्नि बजरंग सिंह
   37/2 गजेन्द्र सिंह पुत्र बजरंग सिंह
   37/3 ओम सिंह पुत्र बजरंग सिंह

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

38. पुष्पा कंवर पत्नि रिछपाल सिंह
39. दशरथ सिंह पुत्र सुगन सिंह
40. रिछपाल सिंह पुत्र सुगन सिंह सभी जाति राजपूत निवासी लिचाणा तह. नावां।
41. मालचन्द पुत्र छीतरमल जाति जागीड़ निवासी लिचाणा तह. नावां।
42. तीजूदेवी पत्नि नाथू
43. विमला देवी पत्नि माधू
44. पूरणमल पुत्र माधू
45. राजेश कुमार पुत्र माधू
46. प्रकाशचन्द पुत्र माधू
47. बाबुलाल पुत्र माधू
48. परमेश्वर पुत्र माधू
49. नरेश कुमार पुत्र माधू
50. मणीदेवी पुत्री माधू
51. मनोज कुमार पुत्र जमनाराम
52. मैनादेवी पत्नि मोहनलाल
53. संजय कुमार पुत्र मोहनलाल
54. शिकन्दर पुत्र मोहनलाल
55. कमल कुमार पुत्र मोहनलाल
56. शांतिलाल पुत्र कुम्भाराम
57. सोहन लाल पुत्र रामूराम सभी जाति नाई निवासी लिचाणा तह. नावां।
58. श्रवण सिंह पुत्र दीप सिंह
59. किशोर सिंह पुत्र दीप सिंह
60. करणी सिंह पुत्र दीप सिंह जाति राजपूत निवासी लिचाणा तह. नावां
61. उदाराम पुत्र लिखमाराम
62. बालूरमा पुत्र भैरू
63. कानाराम पुत्र भैरू जाति जाट निवासी लिचाणा तह. नावां
64. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र छीतरमल जाति खाती निवासी लिचाणा तह. नावां
65. दुर्गादेवी पत्नि गुलाबचन्द जाति ब्राह्मण निवासी लिचाणा तह. नावां।
66. मूलचन्द पुत्र रामदेव जाति कुमावत निवासी लिचाणा तह. नावां।
67. हनुमानराम पुत्र देवाराम
68. मीरा देवी पत्नि शिवजीराम जाति जाट निवासी लिचाणा तह. नावां
69. भंवर सिंह पुत्र भौपाल सिंह
70. रोशन सिंह पुत्र भौपाल सिंह
71. किरण कंवर पत्नि ज्ञान सिंह
72. अजय सिंह पुत्र ज्ञान सिंह संरक्षक माता किरण कंवर
73. अनमोल पुत्री ज्ञान सिंह संरक्षक माता किरण कंवर
74. पूरण सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी लिचाणा तह. नावां।
75. निलम पुत्री बिहारी लाल
76. शुभम पुत्री बिहारीलाल जाति नाई निवासी लिचाणा तह. नावां।
77. मूलचन्द पुत्र पुसाराम जाति जांगीड़ निवासी लिचाणा तह. नावां।
78. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड कुचामन सिटी।
79. शाखा प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा लिचाणा तह. नावां।
80. शाखा प्रबंधक ऑरियन्टल बैंक ऑफ कोमर्स शाखा कुचामन सिटी।
81. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुचामन सिटी।
82. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा कुचामन सिटी।
83. उप–पंजीयक नावां।
84. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नावां।

मुकदमां नम्बर :– 256 / 2022 निर्णय दिनांक :– 04.11.2022

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री मोहन सिंह अधिवक्ता वादीगण, श्री श्रवणराम जाट अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 37/1 से 37/3, 38 ता 40, श्री राजेश कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 70, 74 एवं श्री पुखराज गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 69, 71, 72, 73 को डिक्री दी जाती हैं कि :–

वादीगण का वाद व प्रतिवादी संख्या 37/1 ता 37/3, 38 ता 40, 69, 70, 71, 72, 73, 74 का काउंटर क्लेम स्वीकार कर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम लिचाणा के खसरा नम्बर 1294/492, 494, 502, 503 कुल रकबा 3.702 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 495, 500, 501, 504, 1290/505, 506, 507, 513, 514, 526, 527, 528, 530, 532, 536, 540, 541, 542, 544, 545, 546, 1146/536 कुल रकबा 58.7648 हैक्टयर भूमि का मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकन भूमि अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 37/1 ता 37/3, 38 ता 40, 69, 70, 71, 72, 73, 74 को खातेदार काश्तकार घोषित कर भू–विभाजन किया जाता हैं तथा खसरा नम्बर 513 में से 0.08 हैक्टर भूमि जो कटाणी रास्ते से बंटवारा प्रस्ताव में अंकित छोटूराम पुत्र किशनाराम की भूमि से लगते हुए परमाराम, नेमाराम, पनाराम पि. प्रभूराम की भूमि तक का गै.मु. रास्ता घोषित किया जाता हैं। वादीगण की खातेदारी में दर्ज भूमि में से बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि के अलावा शेष भूमि को शामलाती रखा जावे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खातेदारों का रहन संबंधित बैंक में यथावत रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.11.2022 को जारी की गई। तहरीर जारी हो।

मुहर

दस्तखत:
ओहदा : उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

| मुदई | रूपये | पैसे | मुदायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महन्ताना वकील<br>खर्चा गाहान<br>फीस कमिष्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरीक | NIL | NIL | स्टम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>महन्ताना वकील<br>खर्चा गाहान<br>फीस कमिष्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरीक | NIL | NIL |
| मीलान | NIL | NIL | मीजान | NIL | NIL |